रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261578
CG-DL-E-12032025-261578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2025/ फाल्गुन 21, 1946
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025/PHALGUNA 21, 1946

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025

फा. सं. निदेशक कार्यालय/2025/राजपत्र/संविधि संशोधन/01.—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली परिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) इस परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (संशोधन) परिनियम 2025 है।

   (2) ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली पर लागू होंगे।

   (3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली परिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है), में परिनियम 14 के, उप-परिनियम (iv) के पश्चात, निम्नलिखित उप-परिनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) शासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में,

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 16 के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकता है और कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है।“

3. मूल परिनियम में, परिनियम 17 में, उप-परिनियम (15) का लोप किया जाएगा।

प्रो. (डॉ.) अजय के. शर्मा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1028/2024-25]

टिप्पणः मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 23 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.280 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.837 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2017 के का.आ. 947 (अ) और तारीख 7 जुलाई, 2023 की फा.सं. निदेशक कार्यालय/2023/राजपत्र/संविधि संशोधन/45 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2025

F. No. Director Office/2025/Gazette/Statue Amendment/01.——In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor of the National Institute of Technology, Delhi, the Board of the National Institute of Technology, Delhi, hereby makes the following Statutes to amend the National Institute of Technology, Delhi Statutes, 2017, namely:——

1. (1) These Statutes may be called the Statutes of the National Institute of Technology, Delhi (Amendment) Statute, 2025.

(2) They shall apply to the National Institute of Technology, Delhi.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institute of Technology, Delhi Statutes, 2017 (hereinafter referred to as the principal Statutes), in Statute 14, after sub-statute (iv), the following sub-statute shall be inserted, namely——

"(v) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson under Section 16 of the Act, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitor and in case of expiry of tenure, the Visitor may extend the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier.”

3. In the principal Statutes, in Statute 17, sub-statute (15) shall be omitted.

Prof. (Dr.) AJAY K. SHARMA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./1028/2024-25]

Note : The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.280 (E) dated the 23rd April, 2009 and subsequently amended *vide* notification number .S.R.837 (E) dated the 15th October, 2015, S.O.947(E) dated the 21st July, 2017 and F. No. Director Office/2025/Gazette/Statue Amendment/45 dated 7th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA